**संख्या-46/2018/1034/71-3-2018-जी-158/2017टीसी-5**

**प्रेषक,**

**मुकेश कुमार मेश्राम,**
**सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**महानिदेशक,**
**चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,**
**उ0प्र0, लखनऊ।**

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3** **लखनऊ : दिनॉक 17 दिसम्बर, 2018**

**विषय:- केन्द्र सहायितत योजना (फेज-1) के अंतर्गत संयुक्त चिकित्सालय, दर्शननगर, अयोध्या (पूर्व फैजाबाद) को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त आवंटन के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

**उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2018-19/588, दिनांक 11-12-2018, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, अयोध्या (पूर्व फैजाबाद) के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।**

**2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, अयोध्या (पूर्व फैजाबाद) के निर्माण कार्य हेतु अब तक निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत है:-**

| क्र0सं0 | शासनादेश संख्या व दिनांक | धनराशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016 | 500.00 |
| 2 | संख्या-204/2016/3057/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 19-12-2016 | 1000.00 |
| 3 | संख्या-77/2017/881/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 22-05-2017 | 554.16 |
| 4 | संख्या-121/2017/3444/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 03-11-2017 | 5500.00 |
| 5 | संख्या-04/2018/111/71-3-2018-जी-229/2016, दिनांक 24-03-2016 | 4500.00 |
| | योग | 12054.16 |

**3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त चिकित्सालय, दर्शननगर, अयोध्या उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज, अयोध्या (पूर्व फैजाबाद) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-**

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| प्रायोजना का नाम/ जनपद | मूल स्वीकृति का शासनादेश | लागत | अब तक कुल आवंटन | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त आवंटन |
|---|---|---|---|---|
| मेडिकल कालेज, अयोध्या (पूर्व फैजाबाद) | संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016 | 18901.19 | 12054.16 | 1000.00 |

1. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।**

---

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

2. **मूल स्वीकृति के शासनादेश संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।**

**4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।**

**5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।**

**भवदीय,**

**(मुकेश कुमार मेश्राम)**
**सचिव।**

**संख्या:-46/2018/1034(1)/71-3-2018 तद्यदिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
3. **वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
5. **अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।**
6. **प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अयोध्या (पूर्व फैजाबाद)।**
7. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।**
8. **नियोजन-अनुभाग-4**
9. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3**
10. **गार्ड फाइल।**

**आज्ञा से,**

**( अनिल कुमार )**
**उप सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**